प्रश्न सं. [क्र. 877]

परिशिष्ट "अ"
(पेज 1 से 2 तक)

कार्यालय: नगर पालिका परिषद लहार जिला भिण्ड (म०प्र०)

क्रमांक / 998 लहार,दिनांक: 27.06.2024

प्रति

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर

विषय : राष्ट्रीय राजमार्ग - 552 पर ग्राम लहार में डिवाइडर निर्माण के सम्बन्ध में विधान सभा तारांकित प्रश्न 877

सन्दर्भ : श्रीमान का पत्र क्रमांक 557 दिनांक 26.06.2024

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी निम्नानुसार श्रीमान की ओर प्रेषित है

क्र.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या मिहोना लहार दबोह मार्ग लहार बस्ती से गुजरता है। यदि हाँ तो उक्त मार्ग पर लहार बस्ती में डिवाईडर निर्माण का कार्य राष्ट्रिय राजमार्ग संभाग ग्वालियर द्वारा किया गया है, कार्य की लम्बाई एवं स्वीकृत राशि बतावे	हाँ, यह सत्य है कि मिहोना लहार दबोह मार्ग लहार बस्ती से गुजरता है। उक्त मार्ग पर लहार बस्ती में डिवाइडर का निर्माण नगर पालिका परिषद् लहार जिला भिंड द्वारा लहार सौन्दर्यीकरण कार्य अंतर्गत संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/ 3780 यां.प्र./07-5/2020 भोपाल दिनांक 11.03.2020 से प्राप्त तकनीकि एवं प्रशासकीय स्वीकृति के तारतम्य में एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ग्वालियर के पत्र क्र. 1859 दिनांक 16.10.2020 से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत किया गया। डिवाइडर की कुल लम्बाई 2693 मीटर स्वीकृत थी एवं राशि 149.90 लाख स्वीकृत थी
ख	क्या डिवाइडर में कोई कट पर निकास/प्रवेश द्वार निर्माण का कोई प्रावधान था, यदि हाँ तो कितने निकास/प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है	डिवाइडर में समता ट्रस्ट गली जो भिंड भांडेर रोड को जोडती है के समीप एक गेट निर्माण, तत्कालीन विधायक विधानसभा क्षेत्र लहार के पत्र क्रमांक 209A दिनांक 05/06/2021 से विधानसभा क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत (विधायक निधि) वर्ष 2020-21 से दिए गये निर्देश के पालन में प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 15.07.2021 से एक प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया
ग	यदि निकास/प्रवेश द्वार निर्माण डिवाइडर के कट पर बनाने का प्रवधान नहीं था तो किसके आदेश से डिवाइडर के कट पर निर्माण प्रवेश द्वार का निर्माण किया है	डिवाइडर में समता ट्रस्ट गली जो भिंड भांडेर रोड को जोडती है के समीप एक गेट निर्माण, तत्कालीन विधायक विधानसभा क्षेत्र लहार के पत्र क्रमांक 209A दिनांक 05/06/2021 से विधानसभा क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत (विधायक निधि) वर्ष 2020-21 से दिए गये निर्देश के पालन में प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 15.07.2021 से एक प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया
घ	क्या द्वार निर्माण किये जानें वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी	निकाय द्वारा सक्षम स्वीकृति उपरांत प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है इसलिए कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है
ङ	क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-552 पर लहार नगर में नाला निर्माण का प्रावधान था, यदि हाँ तो कितनी लम्बाई में नाला निर्माण किया गया, क्या बिना नाला निर्माण के कार्य का अंतिम भुगतान कर अनुबंध पूर्ण किया गया	प्रश्न निकाय से सम्बंधित नहीं है

पूर्ण जानकारी : लहार नगर सौन्दर्यीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं तकनीकि स्वीकृति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/ 3780 यां.प्र./07-5/2020 भोपाल दिनांक 11.03.2020 से राशि 535.72 लाख की प्राप्त हुई थी। जिसमें चौराहा सौन्दर्यीकरण कार्य, सेल्फी पॉइंट निर्माण, डिवाइडर निर्माण, डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट एवं ग्रीन जोन इत्यादि कार्य सम्मलित था। विधायक निधि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में क्रमशः 50-50 लाख कुल एक करोड़ रुपये विधायक निधि से डिवाईडर निर्माण हेतु प्राप्त हुए। प्रवेश द्वार के सम्बन्ध में श्री ध्रुव पंचोली निवासी मिहोना द्वारा प्राप्त शिकायत का प्रतिवेदन निकाय के पत्र क्रमांक 741 दिनांक 30.05.2024 में भेजा गया था जो जानकारी के साथ संलग्न है।

Chief Municipal Officer
Municipal Council Lahar
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद लहार

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल